न्यायालय सेशन न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।
उपस्थितः नीरज कुमार, एच०जे०एस० आई०डी०नं०यू०पी० 1907
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1050/2026
CNR NO.–UPFR010034802026

1– अर्जुन सिंह आयु लगभग 27 वर्ष पुत्र अभय सिंह, निवासी– खिरिया मुकुन्द, थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1051/2026
CNR NO.–UPFR010034812026

2– प्रीतम उर्फ सहदेव सिंह आयु 21 वर्ष पुत्र अभय सिंह, निवासी– खिरिया मुकुन्द, थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1052/2026
CNR NO.–UPFR010034822026

3– निर्भय सिंह आयु लगभग 53 वर्ष पुत्र शिवपाल सिंह, निवासी– खिरिया मुकुन्द, थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र०राज्य

.....विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या–201/2026
धारा–190, 191(2), 191(3),
115(2), 352, 109 बी०एन०एस०
व धारा 7 सी०एल०ए०एक्ट
थाना–मोहम्मदाबाद, जनपद–फर्रुखाबाद।

दिनांकः 25–08–2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण **अर्जुन सिंह, प्रीतम उर्फ सहदेव सिंह व निर्भय सिंह** की ओर से उपरोक्त मामले में पृथक–पृथक जमानत के लिए प्रस्तुत किये गये हैं। चूंकि तीनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही अपराध संख्या से सम्बन्धित हैं, अतः सुविधा की दृष्टि से तीनों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.08.24 21:46:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण अर्जुन सिंह, प्रीतम उर्फ सहदेव सिंह व निर्भय सिंह के जमानत प्रार्थनापत्रों के साथ पैरोकार मीना कुमारी पत्नी अभय सिंह का शपथ पत्र पृथक–पृथक से प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय में नहीं दिया गया है और न ही विचाराधीन है तथा खारिज भी नहीं हुआ है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा इस तथ्य का विरोध नहीं किया गया।

3. अभियोजन का केस है कि वादी उ०नि० उदय पाल सिंह द्वारा थाना मोहम्मदाबाद में दिनांक 25.06.2026 को लिखित सूचना दी गयी कि वादी थाना मोहम्मदाबाद से मय हमराहीगण के हल्का क्षेत्र में गस्त में मामूर था कि समय करीब 22.40 बजे दिनांक 24.06.2026 की पी०आर०वी० 5102 पर तैनात का० 927 वीरेश कुमार द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम खिरियामुकुन्द में दो पक्षों के मध्य अपने–अपने वर्चस्व को लेकर गाली गलौज व मारपीट तथा फायरिंग हो गयी। इस सूचना पर वादी उ०नि० मय हमराही हे० का० इमरान के साथ ग्राम खिरियामुकुन्द गया तो देखा कि दोनों पक्षों के लोग एक राय होकर लाठी डंडे से एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे, सभी के हाथों में लाठी डंडे थे। वादी द्वारा झगडा रोकने को कहा गया तो दोनों पक्ष के लोग रात्रि के नावक्त का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे। मौके पर अर्जुन पुत्र अभय सिंह लहु लुहान अवस्था में घायल पड़ा मिला जिसके सिर से खून बह रहा था जिसे तत्काल उपचार हेतु सी.एच.सी. मोहम्मदाबाद रवाना किया गया तथा घटना के संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। गांव के लोगों से फायरिंग के बारे में जानकारी की गयी तो दबी आवाज में लोगों ने बताया गया कि जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी, घटना करीब 22.20 बजे की है। प्रथम पक्ष के अभय सिंह, निर्भय सिंह, अर्जुन व प्रीतम उर्फ सहदेव व गोलू उर्फ अभय सिंह पुत्र स्व०रामशंकर सिंह, शीबू उर्फ सतेन्द्र सिंह तथा द्वितीय पक्ष सुशील सिंह, सुनील सिंह, अनुज सिंह के द्वारा अपने वर्चस्व को लेकर गाली–गलौज लाठी डंडा से मारपीट व जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी, मजरूब अर्जुन सिंह के सिर में चोटें आयी। मौके पर एक अदद 315 बोर खोखा कारतूस मिला जो कब्जे में लेकर सील सर्व मोहर कर कपडे में रखकर नमूना मोहर लिया गया, अनुरोध किया कि रिपोर्ट पंजीकृत की जाए। वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना मोहम्मदाबाद पर दिनांक 25.06.2026 को समय 06.10 बजे मुकदमा अपराध संख्या 201/2026, अंतर्गत धारा 191(2),190,115(2),352,109 बी०एन०एस० में आवेदक/अभियुक्त व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना धारा 191(3) बी०एन०एस० व 7 सी०एल०ए०एक्ट की बढ़ोतरी की गयी, मामले की विवेचना अभी प्रचलित है।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा केस डायरी/पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत के आधार एवं मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें झूठा अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदकगण/अभियुक्तगण के ऊपर क्षेत्रीय हल्का इन्चार्ज वादी मुकदमा द्वारा झूठे व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर की गयी है। कथित घटना निष्पक्ष दिखाकर पुलिस द्वारा कानून की जानकारी रखने के बाबजूद भी झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदकगण/अभियुक्तगण व अन्य सहयोगियों के विरुद्ध जानबूझकर दर्ज करायी गयी है। उक्त घटना में अर्जुन के साथ गांव के सुशील पुत्र विजयपाल सिंह, सुनील सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह, अर्जुन उर्फ लला पुत्रगण सुनील सिंह ने जान से मार डालने की नियत से लाठी–डंडों व धारदार हथियारों और अवैध तमंचा व बन्दूक से मारपीट की और कई राउण्ड फायर किये। उक्त घटना का प्रार्थना पत्र आवेदकगण के पिता द्वारा दिनांक 27.06.2026 को व्यक्तिगत रूप से तथा पंजीकृत डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद, जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद व पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ, मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को जरिये पंजीकृत डाक से दिनांक 29.06.2026 को भेजे थे। उक्त प्रार्थना पत्र पर आज तक थाना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उक्त घटना में अर्जुन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको घटनास्थल से थाना पुलिस मोहम्मदाबाद अपनी गाड़ी से इलाज के लिए सी.एच.सी. मोहम्मदाबाद लायी थी और वहां से रिफर कर दिया। दिनांक 25.06.2026 को डा. राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया और दिनांक 02.07.2026 तक इलाज चलता रहा, सिटी स्कैन में सिर की एक हड्डी टूटी पायी गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस आर्थिक लाभ लेकर पंजीकृत कराया गया है। कथित प्रकरण में धारा 109 बी.एन.एस. का कोई अपराध सृजित नहीं होता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी भी न्यायालय से सजायाप्ता नहीं है। सहअभियुक्तगण की जमानत माननीय न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 19.08.2026 से जिला कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को दौरान मुकदमा जमानत मुचलके पर रिहा किया जाता है तो उसके द्वारा फरार होने अथवा साक्ष्य मिटाने का कोई अंदेशा नहीं है, अनुरोध किया कि जमानत पर रिहा किया जाए।

6. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता,फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तथ्य रखा गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण व अन्य द्वारा विधि विरुद्ध जमाव कर एक राय होकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में अपने अपने वर्चस्व को लेकर आपस में मारपीट व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से फायर किये गए जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। सूचना पर पुलिस द्वारा पहुंचकर ललकारा गया तो मौके से भाग गए। अपराध गंभीर प्रकृति का है, अनुरोध किया कि जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो पक्षों में आपस में गाली गलौज, मारपीट व फायरिंग की घटना होना दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस की तरफ से उ०नि० द्वारा पंजीकृत करायी गयी है तथा दोनों पक्ष को बतौर अभियुक्त नामित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अर्जुन सिंह पुत्र अभय सिंह को घटना में घायल होना बताया गया है जिसको भी अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है। उक्त घायल/अभियुक्त अर्जुन सिंह की चिकित्सीय आख्या केस डायरी पर विद्यमान है जिसमें चिकित्सक द्वारा एक लैसरेटेड वुन्ड सिर के बाईं तरफ, दो कन्ट्यूस्ड स्वेलिंग बाईं कलाई व बाई जांघ पर व दो अब्रेजन चोट दाईं टांग व दाईं कोहनी पर आना, जोकि कठोर एवं भोंथरी वस्तु से पहुंचायी जाना अंकित किया गया है तथा चोटों की प्रकृति साधारण अंकित करते हुए स्वेलिंग की उक्त दोनों चोटों को निगरानी में रखे जाने का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अन्य कोई पूरक चिकित्सीय रिपोर्ट इस स्तर पर केस डायरी पर उपलब्ध नहीं करायी गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 19.08.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना कहा गया है। अभियोजन की तरफ से आवेदकगण /अभियुक्तगण के पूर्व आपराधिक इतिहास अथवा पूर्व दोषसिद्धि के बावत कोई तथ्य नहीं रखा गया। प्रकरण में वादी मुकदमा पुलिस है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा इसी मामले के सहअभियुक्त की जमानत पूर्व में इसी न्यायालय से स्वीकृत हो जाने का तथ्य रखा गया। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत हेतु आधार पर्याप्त है, तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत किये गये जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **अर्जुन सिंह, प्रीतम उर्फ सहदेव सिंह व निर्भय सिंह** द्वारा प्रस्तुत किये गये जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किये जाते हैं और आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा मु० 1,00,000–1,00,000/–(एक–एक लाख रुपये) का निजी बंधपत्र व समान राशि की दो–दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–25.08.2026

(**नीरज कुमार**)
आई०डी०नं०यू०पी० 1907
सेशन न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।